राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :— 168/2017

सलिन्द्र कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, (ग्रुप—1), राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 12.12.2017
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

समक्ष :—लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री जे.एस. भलेरिया तथा प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड उपस्थित। उन्होंने अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2017 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए है। अतः प्रकरण के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज किया जावे।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधिकरण के आदेश दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपील विगत लगभग 7 वर्ष से लम्बित है और अपीलार्थी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य